न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

वइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53/2019/251–ए आरटीए

1. भोमाराम पुत्र रामधन जाति जाट निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. केशरदेवी पत्नि बेगाराम जाति बलाई निवासिनी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
2. चुन्नीलाल पुत्र बेगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
3. हनुमान पुत्र बेगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
4. भूराराम पुत्र नाथू जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
5. नारायण पुत्र नाथू जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
6. काना पुत्र नाथू जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
7. मोहन पुत्र लिखमा जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
8. बरजीदेवी पत्नि चन्द्रा जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
9. शांतिदेवी पत्नि हीरालाल जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
10. सायरमल पुत्र तेजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
11. टीकूराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
12. राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
13. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 10 की ओर सें तथा शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक – 07.02.2020

नि र्ण य

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 84, 85 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की भूमि खसरा नम्बर 1008/72 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे एवं अप्रार्थी संख्या 11 की भूमि खसरा नम्बर 81, 83 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य काई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की भूमि में सें बताये गये उक्त रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने सें सम्पूर्णतया वंचित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग एवं उपभोग हेतु रास्ते हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने हेतु एवं बच्चों को पढाई के लिए स्कूल आने जाने हेतु, कोई पारिवारिक सदस्य के बीमार होने पर अस्पताल ले जाने हेतु निरन्तर व दिन प्रतिदिन रास्ते की आवश्यकता बनी रहती है तथा वांछित रास्ते के अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु प्रार्थी तैयार है। इसलिए खसरा नम्बर 1008/72, 81 व 83 में सें रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 4 ता 10 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपतहसीलदार लोसल से रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक विधिक आपत्ति पेश की गई जिसको बादसुनवाई खारिज किया गया। वकील अप्रार्थी ने आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश किया। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 84, 85 का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त खातेदारी भूमि में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः आवेदन स्वीकार कर आवेदित रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि प्रार्थी का भूमि खसरा नम्बर 84, 85 पर कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है तथा गत रूप से प्रार्थीगण की कृषि भूमियों को अनुपयोगी करवाने की दुर्भावना से रास्ता कायम करवाना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए खारिज फरमाया जावे। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 84, 85 में आवागमन हेतु राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी के प्रस्तावित रास्ते में खसरा नम्बर 1008/72 में प्रस्तावित रास्ते में 384 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 83 में प्रस्तावित रास्ते में 224 वर्गमीटर अर्थात कुल 608 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते में आयेगी। आवेदित रास्ते की डीएलसी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन है कि डीएलसी दर प्रति हैक्टर 367308 जिसमें रास्ते का रकबा 0.0608 X 367308= 22400 रूपये बनती है जिसकी दोगुना राशि 44800 रूपये बनती है। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट सें स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ते का अभाव है अतः प्रार्थी को वांछित रास्ता दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अंतर्गत न्यायोचित है। चूंकि आरटीए की धारा 251–ए की मंशा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी को निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 84, 85 में आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु खसरा नम्बर 1008/72 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे तथा खसरा नम्बर 81 व 83 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़े रास्ते को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपतहसीलदार लोसल सें प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 44800 रूपये अप्रार्थी खातेदारान को दिया जाना है। जिनमें सें अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को खसरा नम्बर 1008/72 में सें रकबा 0.0384 हैक्टर की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें राशि 28300 रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 11 को खसरा नम्बर 81, 83 में सें रकबा 0.0224 हैक्टर की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें राशि 16500 रूपये दिया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थी सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 84, 85 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1008/72 रकबा 1.75 हैक्टर में सें पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रकबा 384 वर्गमीटर अर्थात 0.0384 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 81, 83 किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टर में सें दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 224 वर्गमीटर अर्थात 0.0224 हैक्टर को मौके पर नपती की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

जाकर शिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जाये। तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता शिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner